कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 891 / 2020 / 10–11 / 3827 भोपाल, दिनांक 16-11-22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषय:– सिवनी जिले के अन्तर्गत पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्माझिरी को विस्थापित किए जाने हेतु 160.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:–आपका पत्र क्रमांक / 8-13/2020-FC दिनांक 28.09.2022

––0––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	शर्ते	पालन प्रतिवेदन
i	The State Government had earlier informed that the total area of village Karmajhiri as per the Working Plan is 367.12 ha and same was also reported in the letter no. F 5/891/2020/10-11/2397 dated 30.07.2020 of Nodal Officer (FCA), Government of Madhya Pradesh. However, now the State has informed that Village Karmajhiri was established by order number 1933 dated 21.05.1907 and 8494 dated 23.12.1909 and 323.800 hectare area has been allotted to the forest village Karmajhiri and accordingly in the notification of Karmajiri Sanctuary also, the area allotted to Village has been shown as 323.800 hectare only. This variation in terms of total area of village Karmajhiri as mentioned in working plan wrt the area mentioned in notification needs clarification.	इस संबंध में पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना (2015–16 से 2024–25) के अनुसार कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 367.12 हेक्टेयर है। अतः इस कार्यालय से वनग्राम के विस्थापन संबंधी प्रस्ताव में कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 367.12 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। कर्माझिरी अभ्यारण्य के गठन की प्रक्रिया के दौरान पिछली कार्य आयोजनाओं एवं वनग्राम की स्थापना के संबंधी अधिसूचना के अनुसार कर्माझिरी वनग्राम का मूल अधिसूचित क्षेत्रफल 323.800 था। तत्समय की विभिन्न कार्य आयोजनाओं में कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा प्लेनीमीटर के उपयोग से कर्माझिरी वनग्राम तथा संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल मापकर कार्य आयोजना में दर्ज किया गया। 2015–16 से प्रचलित नवीन कार्य आयोजना में कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 43.320 हेक्टेयर अधिक दर्शाया गया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उक्त कार्य आयोजना में पहली बार मेनुअल प्लेनिमीटर के स्थान पर डिजिटल एरिया केल्कुलेशन किया गया है।

ii	The proposal was processed keeping in view an area of 367.12 ha which is correct as per the Working Plan. Therefore, the reasons for not including the total area of 367.12 ha in the Wildlife Sanctuary shall be submitted.	वनग्राम कर्माझिरी का सम्पूर्ण क्षेत्रफल उक्त 04 कक्षों में है। इन 04 कक्षों में से 01 कक्ष का पूर्ण रकबा तथा 03 कक्षों का आंशिक रकबा वनग्राम कर्माझिरी में सम्मिलित है। यहा यह उल्लेखनीय है कि इन 04 कक्षों का सम्पूर्ण क्षेत्र को जोड़ते हुए अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1410.420 हेक्टेयर है। अतः वनग्राम कर्माझिरी में आने वाले किसी क्षेत्र को छोड़ने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (संलग्न मानचित्र कर्माझिरी अभ्यारण्य एवं वनग्राम कर्माझिरी को आवंटित क्षेत्र)
iii	The State Government shall provide KML file of 1410.420 ha area notified as Sanctuary and the KML file of 323.800 ha area of Karmajhiri Village which has been included in the Wildlife Sanctuary.	"कर्माझिरी अभ्यारण्य" की KML file संलग्न है। वनग्राम कर्माझिरी की KML file प्रस्ताव के भाग–1 में 0(शून्य) हेक्टेयर के रूप में पहले से ही अपलोड है।
iv	The State Govt shall also submit a certificate that entire village will be relocated and the complete area will become inviolate after the diversion of the 160 ha area included in the instant proposal	प्रमाण पत्र संलग्न है।
v	Keeping in view the above changes in the proposal, the State Govt. shall certify that the Karmajhiri village being vacated is a part of the Core/Critical Tiger Reserve or Core of a Protected Area (National Park or Sanctuary). The State Govt. shall also ensure that the instant proposal fulfills all the conditions of Voluntary village relocation guidelines dated 20.05.2019 issued by the Ministry and submit a point-wise reply for the same.	मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक / एफ15–04 / 2022 / 10–2 भोपाल दिनांक 22.07.2022 से उक्त कक्षों के सम्पूर्ण 1410.420 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए कर्माझिरी अभ्यारण्य घोषित किया है। यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.05.2019 की समस्त शर्तों को पूर्ण करता है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

16/11/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 891 / 2020 / 10–11 / 3828 — भोपाल, दिनांक 16-11-22

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), सिवनी वृत्त, सिवनी, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण सिवनी, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक,
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

☎- 07692-223794, Fax- 07692-223204, www.penchtiger.co.in, e-mail- fdpennp.sni@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/माचि./ 6088 सिवनी/दिनांक/11/11/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

विषय – **सिवनी जिले के अंतर्गत पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्माझिरी को विस्थापित किये जाने हेतु 160.00 हे. वन वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।**

संदर्भ – 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8–13/2020–FC दिनांक 28.09.2022।
2. आपका पत्र क्रमांक/एफ–5/894/2020/10–11/3654 दिनांक 31.10.2022।

–0–

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्रों के माध्यम से चाही गयी बिन्दुवार जानकारी का प्रतिवदेन निम्नानुसार है –

1.1 वर्तमान में प्रचलित कार्याआयोजना (2015–16 से 2024–25) के अनुसार कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 367.12 हे. है। अतः इस कार्यालय से वनग्राम के विस्थापन संबंधी प्रस्ताव में कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 367.12 हे. दर्ज किया गया था।

1.2 कर्माझिरी अभ्यारण्य के गठन की प्रक्रिया के दौरान पिछली कार्या आयोजनाओं एवं वनग्राम के स्थापना के संबंधी अधिसूचना के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कर्माझिरी वनग्राम का मूल अधिसूचित क्षेत्रफल 323.800 था किंतु विभिन्न कार्यआयोजनाओं में कार्यआयोजना अधिकारी द्वारा प्लेनीमीटर के उपयोग से कर्माझिरी वनग्राम तथा संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल मापकर कार्यआयोजना में दर्ज किया गया। इन दर्ज किये गये क्षेत्रफल में आंशिक अंतर है। विगत 03 कार्या आयोजनाओं एवं मूल अधिसूचना में वनग्राम में सम्मिलित कक्ष एवं वनग्राम में सम्मिलित रकबा की तालिका संलग्न है।

1.3 यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि तीनों कार्याआयोजनाओं में वनकक्षों के कुल क्षेत्रफल में काई परिवर्तन नही है मात्र 2015–16 से प्रचलित नवीन कार्या आयोजना में कर्माझिरी वनग्राम का क्षेत्रफल 43.320 हे. अधिक दर्शाया गया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उक्त कार्यआयोजना में पहली बार मेनुअल प्लेनिमीटर के स्थान पर डिजिटल एरिया केल्कुलेशन किया गया था।

2. वनग्राम कर्माझिरी का सम्पूर्ण क्षेत्रफल उक्त 04 कक्षों में है एवं 04 कक्षों का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें वनग्राम शामिल है मिलाकर नवीन अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1410.420 हे. है। अतः किसी क्षेत्र को छोड़ने का प्रश्न उपस्थित नही होता। (संलग्न मानचित्र कर्माझिरी अभ्यारण्य एवं वनग्राम कर्माझिरी को आवंटित क्षेत्र)

3. वनग्राम कर्माझिरी एवं "कर्माझिरी अभ्यारण्य" की KML फाइल संलग्न है।

4. संलग्न है।

5. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15–04/2022/10–2 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2022 से उक्त कक्षों के सम्पूर्ण 1410.420 हे. क्षेत्र को शामिल करते हुए कर्माझिरी अभ्यारण्य घोषित किया है। कृपया संलग्न नक्शे के अवलोकन का अनुरोध है विस्थापन हेतु प्रस्ताविक संपूर्ण वनग्राम कर्माझिरी अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर संस्थित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

उप संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

पत्र पृ क्रमांक/मा.चि./6089 सिवनी/दिनांक/11/11/2022

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

उप संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक,
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)
☎- 07692–223794, Fax– 07692–223204, www.penchtiger.co.in, e-mail– fdpennp.sni@mp.gov.in

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरांत प्रस्ताव अनुसार 160.00 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन होने उपरांत कर्माझिरी अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित समस्त कर्माझिरी वनग्राम के स्वेच्छिक विस्थापन किया जाकर सम्पूर्ण रिक्त क्षेत्र को पूर्णतः Inviolate Zone बना दिया जावेगा।

वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाइगर रिवर्ज
सिवनी (म.प्र.)

तालिका 1.2

आदेश क्रमांक 1933 दिनांक 21.05.1907 एवं 8494 दिनांक 23.12.1909 के द्वारा वनग्राम कर्माझिरी एवं संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल			दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल की कार्यआयोजना अवधि 1986—1987 से 1995—1996 में दर्ज वनग्राम कर्माझिरी एवं संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल			दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल की कार्यआयोजना अवधि 2003—2004 से 2017—2018 में दर्ज वनग्राम कर्माझिरी एवं संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल				पेंच टाइगर रिजर्व बफर जोन की कार्यआयोजना अवधि 2015—2016 से 2024—2025 में दर्ज वनग्राम कर्माझिरी एवं संबंधित कक्षों का क्षेत्रफल			
वन कक्ष क्र.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.)	वनग्राम को आंवटित क्षेत्रफल (हे.)	वन कक्ष	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.)	वनग्राम को आंवटित क्षेत्रफल (हे.)	वन कक्ष		कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.)	वनग्राम को आंवटित क्षेत्रफल (हे.)	वन कक्ष		कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.)	वनग्राम को आंवटित क्षेत्रफल (हे.)
						पुराना	नया			पुराना	नया		
19 D	510.330	207.200	19 D	510.330	207.200	19	384	510.330	208.000	19	384	510.330	232.110
20 D	38.800	38.800	20 D	38.800	38.800	20	390	38.800	38.800	20	390	38.800	35.180
43 C	467.770	48.200	43 C	467.770	48.200	43	385	467.770	48.37	43	385	467.770	57.50
44 B	393.520	29.600	44 B	393.520	29.600	44	386	393.520	29.250	44	386	393.520	42.33
योग	**1410.420**	**323.800**	**योग**	**1410.420**	**323.800**	**योग**		**1410.420**	**324.420**	**योग**		**1410.420**	**367.120**

उप संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (म.प्र.)

WP- 1986-87 to 1995-96

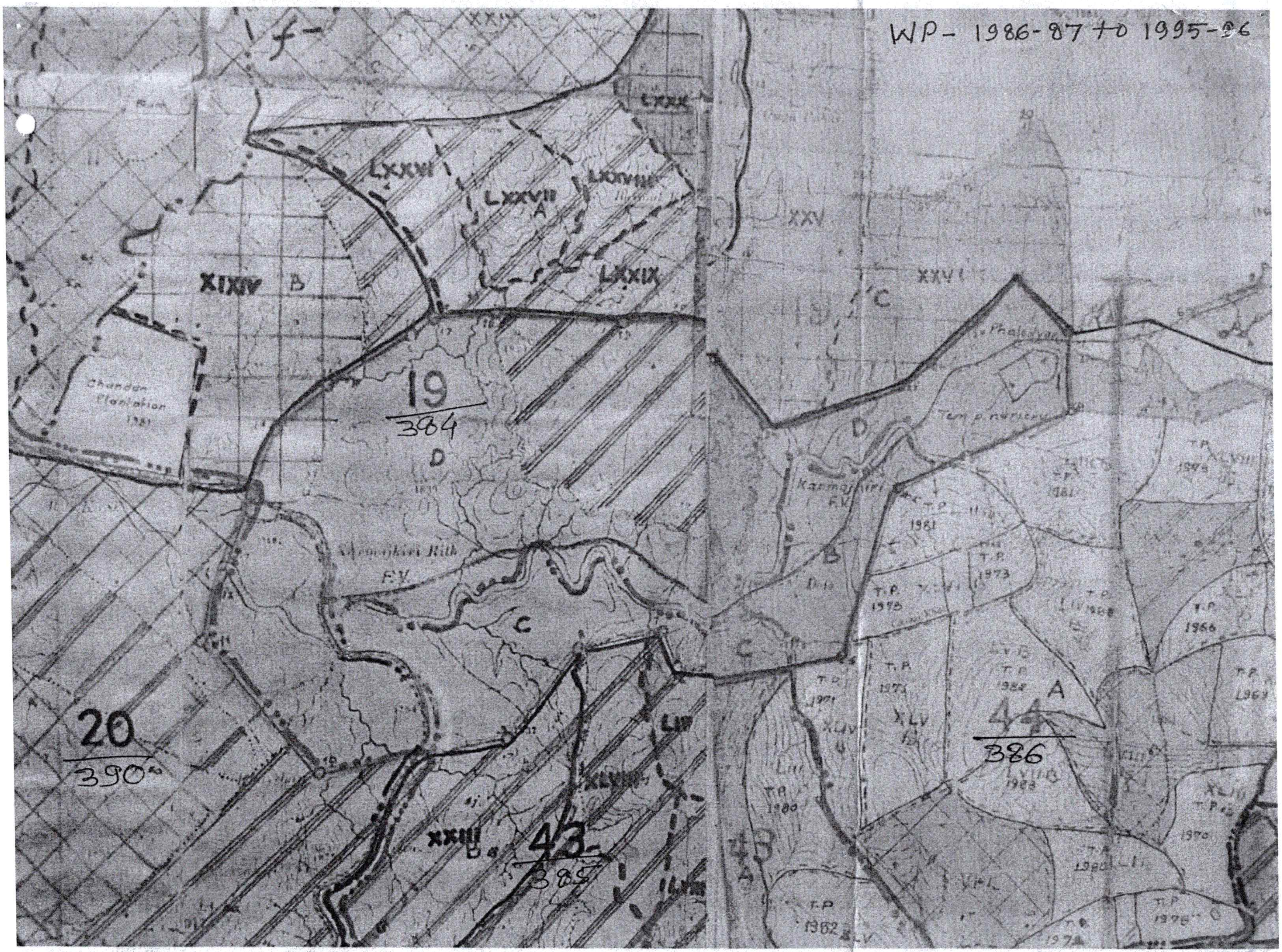

पेंच टाइगर रिजर्व बफर जोन कार्य आयोजना अवधि 2015-2016 से 2024-2025 में दर्ज वनग्राम कर्माझिरी का क्षेत्र 367.120 हेक्टेयर